

331



न्यायालय माननीय राजस्वब पण्डित मध्यप्रदेश, गवा लियर

प्रकरण क्रमांक

१२०१६ निगरानी फैज-३२०१-॥-१६

श्री कौ. कौ. आष०७५०-८५  
द्वारा आज दि १९-७-१६ को  
प्रस्तुत

१० रुपये  
कलाक आफ कोट  
ग्रामसंघ संघ ग्रामसंघ

राजमन पुत्र मुहुवा तेली, निवासी श्राम खाँचीपुर,  
तेलसील- सिहावल वत्तीन-वहरी, जिला सीधी-  
(मध्यप्रदेश)।

----- प्राथी

बिराच्छ

मध्यप्रदेश शासन

----- प्रतिप्राथी

निगरानी बिराच्छ आवैश कलेक्टर महोदय सीधी दिनांकी १४-०६-१६  
अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १६५६ । प्र०३० १५-१६  
स्वर्णवे निर्णिये

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

331

## अनुवाति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निःसंख्या ३२०१(II) १६,

## ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୁଲ୍ସନ୍

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>रमेश कौर</u>: अवस्था      अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला .....<u>मीठी</u>      के प्रकरण क्रमांक <u>03/स्व.निव/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक  <u>14/09/2016</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में      दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित      संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु      प्रकरण आयुक्त संभाग .....<u>रीवा</u>..... के न्यायालय को अंतरित किया      जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/10/19</u> को संभागीय आयुक्त  <u>रीवा</u>..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p>	